रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226471
CG-DL-E-09042021-226471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1408] नई दिल्ली शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943
No. 1408] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों को स्थापित करने हेतु नीति के संबंध में चार बराबर तिमाही किस्तों में उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के विकल्प को वापस लेना।

का.आ. 1519(अ).— निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशनों को स्थापित करने हेतु उपयोग परिवर्तन शुल्क को का.आ. 3358 (ई) दिनांक 18.09.2019 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना का खंड 2 निम्नवत है:

"उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान या तो एकमुश्त अथवा चार बराबर तिमाही किस्तों में किया जा सकता है। नियत तिथि तक किस्त के किसी भुगतान में विलंब होने पर, 8% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज लगेगा।"

अब, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उक्त खंड को वापस लेता है। अब से, आवेदकों को केवल एकमुश्त भुगतान करने की आवश्यकता होगी। अधिसूचना की अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

[फा. सं. एफ. 5(8)2019/एओ(पी)/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2021

Withdrawal of option for making payment of use conversion fee in four equal quarterly installments in respect of the policy for Setting up of Fuel Stations on privately owned Lands in National Capital Territory of Delhi.

S.O. 1519(E).— The Use Conversion fee for setting up of Fuel Stations on privately owned Land in National Capital Territory of Delhi was notified vide S.O. 3358 (E) dated 18.09.2019. Clause 2 of this notification provided as under:

"The payment of use conversion fee may be made either lump sum or in equal four quarterly installments. The delay in making any payment of installment on due date, shall carry simple interest @ 8% per annum."

Now, in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby withdraws the aforesaid clause. Henceforth, the applicants shall be required to make the payment in lump sum only. Other terms & conditions of the Notification shall remain unchanged.

[F. No. F. 5(8)2019/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM